प्रेस नोट **दिनांक 14.07.2026**

10,000/- (दस हजार रुपये) का इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 14.07.2026 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हुसैनाबाद नदी पुल से मु0अ0स0 1/2026 धारा-316(2), 352, 351 (2) बीएनएस में वाछिंत 10000/- (दस हजार रुपये) इनामियां अभियुक्त रामभवन यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी मुंगेसर थाना घोसी जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. रामभवन यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी मुंगेसर थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 1/2026 धारा-316(2), 352, 351 (2) बीएनएस

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-683/2017 धारा 406, 419, 420, 506 भादवि थाना घोसी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0-05/2026 धारा 316(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0-769/2016 धारा 406 भादवि थाना मधुवन जनपद मऊ

प्रेस नोट

13/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण –

1. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण, 1. छाँगुर पुत्र सकालू, निवासी ग्राम मीरपुर रहीमाबाद, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ 2. राजदेव पुत्र किशोर, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम मीरपुर रहीमाबाद, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ। जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना दक्षिणटोला साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 10000-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व थानाध्यक्ष दक्षिणटोला के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, मो0 शहिद पुत्र शफिउर्रहमान निवासी जमालपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की 10000/- रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना दक्षिणटोला में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 10000/- रुपये वापस कराया गया।